

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदातत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

शिबू बनाम नाटी

मुकदमा- अस्थाई निषेधाज्ञा

मु0 नं0 10/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31.01.2018	<p>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के वकील ने शपथ पत्र व दस्तावेजी सबूतो की छाया प्रतिया पेश किया। हमने प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस मनन के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राईमा फ़ैसाई केश सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को पांबद किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है। कि प्रार्थी के खसरा नं 832, रकबा 0.2200 है0 वाके रामा पाडली तहसील सिकराय जिला दौसा पर मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। यदि कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक 20.02.2018 को न्यायालय मे उपस्थित होकर उज पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 20.02.2018 को पेश हो।</p>	

(अशोक कुमार त्यागी)

आरएस

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

20/18

पत्रावली पेश हो। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 20/18 को पेश हो।

8/18

पत्रावली पेश हो। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 8/18 को पेश हो।